नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)

(पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 14 / 2019

दायर दिनांक 01 / 03 / 2019

निर्णय दिनांक 31 / 12 / 2020

अनवान

भंवरी बानू पुत्री आलमअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।

.... वादीया

बनाम

1. भंवर खां पिता चिरागअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2. याकूब खां , लियाकत खां , सहनाजबानू , सलमाबानू पिता चिरागअली खां नाबा.व.वि. माता मन्दिराबानू ध.प. चिरागअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।
3. मन्दिरा बानू ध.प. चिरागअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
4. शेर मोहम्मद पिता जोरावर खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
5. नूर मोहम्मद पिता जोरावर खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
6. सुरजीबानू पुत्री जोरावर खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
7. मुन्नीबानू पत्नि जोरावर खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
8. अजीज खां पिता आलमअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
9. शहाबुद्दीन खां पिता आलमअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
10. मृतक भूरबानू पिता आलमअली खा मुसलमान जरिये वारिसान
    1. फुल मोहम्मद पिता मनवर खां मुसलमान निवासी फुलियागेट , शाहपुरा जिला भीलवाडा
    2. उम्मेद खां पिता मनवर खां मुसलमान निवासी फुलियागेट , शाहपुरा जिला भीलवाडा
    3. हमीद खां पिता मनवर खां मुसलमान निवासी फुलियागेट , शाहपुरा जिला भीलवाडा
    4. नूर पुत्री मनवर खां मुसलमान निवासी फुलियागेट , शाहपुरा जिला भीलवाडा
11. अमीनबानू पिता आलमअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
12. मृतक गेना बेवा आलमअली खां मुसलमान जरिये वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 , 8, 9, 10
13. मुमताज खां पिता हासम खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
14. रहमतबानो बेवा हासम खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा

...... प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा
वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92 क 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – श्री मुरारी जोशी वकील वादीया
विपक्षी संख्या 15 पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी

वादीया की और से जरिये अधिवक्ता वाद्र बाबत् घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती के तहत प्रस्तुत किया कि ग्राम निम्बाहेडाखुर्द पटवार क्षेत्र निम्बाहेडाकला भु–अभिलेख क्षेत्र रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 727/404 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा , आराजी नम्बर 736/404 रकबा 18 बिस्वा , आराजी नम्बर 737/404 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 03 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा दर्ज रेकार्ड है ।

यह कि उक्त आराजी नम्बर 727/404 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा , आराजी नम्बर 736/404 रकबा 18 बिस्वा , आराजी नम्बर 737/404 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 03 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा भु–प्रबन्धक सेटलमेन्ट विभाग मे आलमअली खां , जोमदार खां पिता गुलामअली खां मुसलमान के नाम दर्ज रेकार्ड थी जो सम्वत् 2038 से 2041 मे आलमअली खां , जोमदार खां पिता कालु खां मुसलमान कर दिया जो कि गलत इन्द्राज कर दिया है जबकि आलमअली खां , जोमदार खां पिता गुलामअली खां होना चाहिये था जबकि वादीया के पिता आलमअली खां पिता गुलामअली मुसलमान की मृत्यु सन् 2006 मे हुई थी उससे पूर्व ही सन् 30–10–2001 को उक्त आराजी का नामान्तरकरण अन्य किसी आलमअली खां पिता कालु खां मुसलमान के वारिसान का खोल दिया जबकि आलमअली पिता गुलामअली खां की मृत्यु के बाद उक्त आराजी मे वादीया का नाम दर्ज होना चाहिये था लेकिन राजस्व कर्मचारी की गलति से इन्द्राज गलत गलत कर दिया था । जो दोषयुक्त इन्द्राज आज दिनांक तक अनवरत जारी होकर वर्तमान में भी विवादित आराजियात आलमअली खां पिता कालु खां मुसलमान के वारिसान प्रतिवादी गण के नाम बतौर खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड चली आ रही है जो कि विधी विरूद्व होकर कानूनन गलत है । अतः राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करा विवादित आराजियात मे प्रतिवादी संख्या 01 से 14 का नाम विलोपित कर वादीया का 1/2 हिस्सा खातेदार काश्तकार होने के अधिकारी है । तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्यां 01 से 14 पारित फरमावे ।

वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 01.03.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी गण को जरिये सम्मन /नोटिस मामले मे वजह जाहिर करने हेतु तलब किया गया । प्रतिवादी संख्या 1 से 14 नियत सुनाई पर अनुपस्थित रहने व विहित समयावधी में जवाबदावा प्रस्तुतीकरण में असमर्थ रहने से उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाकर पत्रावली को एक तरफा साक्ष्य वादीया चरण हेतू नियत किया गया । वादीया की शहादत मे वादीया की और से प्रस्तुत गवाह स्वंय वादी के शपथपत्र पर पी. डबल्यू –1 का अंकन किया गया एंव संलग्न भु–प्रबन्धक सेटलमेन्ट विभाग की जमाबन्दी एंव , जमाबन्दी सम्वत् 2038 से 2070 तक की जमाबन्दी की नकले , नामान्तरकरण की नकल , मृत्यू प्रमाण पत्र जो प्रकरण मे क्रमश प्रदर्श 1 से 14 तक है । वादीया अधिवक्ता द्वारा प्रकरण मे बहस प्रस्तुत करना चाहने से बहस एक पक्षीय सुनी गई तत्पश्चात् बहस के दौरान वादी अधिवक्ता द्वारा अपने द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित कलमो को दाहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करा विवादित आराजियात के राजस्व अभिलेखो में प्रतिवादी संख्या 01 से 14 का नाम विलोपित कर उक्त आराजी नम्बर 727/404 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा , आराजी नम्बर 736/404 रकबा 18 बिस्वा , आराजी नम्बर 737/404 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 03 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा मे वादिया को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । तदनुसार घौषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 14 सादर फरमाई जावे । इसके साथ स्थायी निषेधाज्ञा आशय की डिक्री बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी संख्यां 1 से 14 पारित फरमाई जावे ।

उपखण्ड आ[illegible]

अतः इस प्रकार प्रकरण का अधो–पांत अवलोकन करने से तथा वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र की ताईद में प्रस्तुत शपथपत्र एंव वादपत्र में समर्थन मे प्रस्तुत राजस्व आधार राजस्व अभिलेख का अध्ययन परिशीलन करने के पश्चात् वादीया का वादपत्र बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के स्वीकार किये जाने योग्य है ।

:: आदेश ::

वादीया का वादपत्र बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 14 इस प्रकार स्वीकार की जाता है कि ग्राम निम्बाहेडाखुर्द पटवार क्षेत्र निम्बाहेडाकला भु–अभिलेख क्षेत्र रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 727/404 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा , आराजी नम्बर 736/404 रकबा 18 बिस्वा , आराजी नम्बर 737/404 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 03 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करा विवादित आराजियात में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 14 का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर केवल मात्र वादीया का नाम बतोर एकल खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है इसके साथ ही वादीया के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षी गण को पाबन्द किया जाता है तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पर्चा तरतीब किया जावे । अन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे । खर्चा करीकेन अपना अपना वहन करे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो । निर्णय आज दिनांक 31.12.2020 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधि...
बनेडा (भीलवाड़ा)

दिवांशु शर्मा
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)

(पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

:: मूल वाद मे अन्तिम डिक्री ::

(आदेश 20 व नियम 06 व 07 जा.दी.)

...संख्या 14/2019

...दिनांक 01/03/2019

...दिनांक 31/12/2020

अनवान

...बानू पुत्री आलमअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।

.... वादीया

बनाम

...वर खां पिता चिरागअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...याकूब खां , लियाकत खां , सहनाजबानू , सलमाबानू पिता चिरागअली खां नाबा.व.वि. माता मन्दिराबानू ध.प. चिरागअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा ।

...मन्दिरा बानू ध.प. चिरागअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...शेर मोहम्मद पिता जोरावर खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...नूर मोहम्मद पिता जोरावर खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...सुरजीबानू पुत्री जोरावर खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...मुन्नीबानू पत्नि जोरावर खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...अजीज खां पिता आलमअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...शहाबुद्दीन खां पिता आलमअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...मृतक भूरबानू पिता आलमअली खां मुसलमान जरिये वारिसान

1. फुल मोहम्मद पिता मनवर खां मुसलमान निवासी फुलियागेट , शाहपुरा जिला भीलवाडा
2. उम्मेद खां पिता मनवर खां मुसलमान निवासी फुलियागेट , शाहपुरा जिला भीलवाडा
3. हमीद खां पिता मनवर खां मुसलमान निवासी फुलियागेट , शाहपुरा जिला भीलवाडा
4. नूर पुत्री मनवर खां मुसलमान निवासी फुलियागेट , शाहपुरा जिला भीलवाडा

...अमीनबानू पिता आलमअली खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...मृतक गेना बेवा आलमअली खां मुसलमान जरिये वारिसान प्रतिवादी संख्या 7 , 8, 9, 10

...मुनताज खां पिता हासम खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...रहमतबानो बेवा हासम खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडाखुर्द तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

...राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा

...... प्रतिवादीगण

वादपत्र बाबत घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती एंव स्थायी निषेधाज्ञा

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,92 क 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम

...स्थित – श्री मुरारी जोशी वकील वादीया

विपक्षी संख्या 15 पेरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
बनेडा (भीलवाडा)

वादीया का वादपत्र बहक वादीया विरूद्व प्रतिवादी गण संख्या 1 लगायत 14 इस प्रकार स्वीकार की जाता है कि ग्राम निम्बाहेडाखुर्द पटवार क्षेत्र निम्बाहेडाकला भु–अभिलेख क्षेत्र रायला तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 727/404 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा , आराजी नम्बर 736/404 रकबा 18 बिस्वा , आराजी नम्बर 737/404 रकबा 01 बीघा 01 बिस्वा कुल खसरा 03 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा भूमि के राजस्व रेकार्ड मे दुरुस्ती करा विवादित आराजियात में प्रतिबादी संख्या 01 लगायत 14 का नाम विलोपित कर उनके स्थान पर केवल मात्र वादीया का नाम बतोर एकल खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है इसके साथ ही वादीया के उपयोग उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 किसी प्रकार की बाधा अथवा रूकावट उत्पन्न नही करे इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से विपक्षी गण को पाबन्द किया जाता है । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे ।

उपखण्ड अधिकारी
दिवांशु शर्मा,
बनेड़ा (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा

यह डिक्री आज दिनांक 31.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालय की मुहर से जारी की गई ।

दिवांशु शर्मा
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाडा